

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 15.03.2019

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.01.2019 के द्वारा डा. अरविन्द कुमार गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पीएमआर), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर का बकाया वेतन उपस्थिति के आधार पर मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर में उपलब्ध रिक्त पद से एवं आगामी वेतन राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में डा. गुप्ता के पूर्व पदस्थापित पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. गुप्ता का बकाया वेतन मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर के स्थान पर जिला चिकित्सालय, टोंक में उपलब्ध रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
4. निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/अजमेर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर/जिला चिकित्सालय, टोंक
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
8. डा. अरविन्द कुमार गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पीएमआर), राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
9. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव